न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

धारा 6–ए प्रकरण संख्या 86/2018(RCMS No. :2018/00166)

राज्य सरकार जरिये सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी (अभि.), श्रीगंगानगर

बनाम

आत्माराम पुत्र श्री हुणताराम जाति जाट उम्र 30 साल निवासी रामसरा पुलिस थाना महाजन, जिला बीकानेर

11.09.2023

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 2420 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम व पिकअप (आरजे–07जीसी–6210) को राजसात करने के लिए यह प्रंकरण पेश किया और साथ ही 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक एफ.आई.आर. संख्या 116 दिनांक 27.05.2018 अप्रार्थी आत्माराम पुत्र हुणताराम के विरूद्ध पुलिस थाना दर्ज करवाई गई थी, जिस पर अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दर्ज फौजदारी प्रकरण संख्या 85/2018 अनवानी आत्माराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त हो चुके है। इसलिए धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से अपर सैशन न्यायाधीश संख्या–1, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 17.11.2018 को दोषमुक्त किये जाने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में धारा 6ए में जब्तशुदा डीजल 2420 लीटर व पिकअप आरजे–07जीसी–6210 के सम्बन्ध में विचाराधीन कार्यवाही समाप्त की जावे। अपर जिला सैशन न्याधीश संख्या 02, श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.11.2018 उक्त जब्तशुदा उक्त 2420

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:32:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लीटर डीजल एवं पिकअप आरजे–07 / जीसी–6210 को वापिस लौटाया गया, था, जिसे प्रार्थी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही ड्रॉप योग्य है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी का कथन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6ए के प्रकरण के साथ साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एक एफ.आई.आर. संख्या 116 / 2018 पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई थी जिसके आधार पर अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1, श्रीगंगानगर के न्यायालय में फौजदारी प्रकरण संख्या 85 / 2018 अनवानी आत्माराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोक 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज होकर दिनांक 17.11.2018 के निर्णय के द्वारा अप्रार्थी को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। उक्त दोषमुक्ति आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई है। अतः उक्त धारा 3/7 के आरोप से दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थी वाहन स्वामी से जब्तशुदा डीजल वापिस प्राप्त करने का हकदार हो जाता है।

उनका आगे कथन था कि जब्तशुदा डीजल अप्रार्थी हरियाणा से क्रय करके लाये है और अप्रार्थी अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1, श्रीगंगानगर के निर्णय की पालना में जब्तशुदा डीजल व वाहन प्राप्त कर चुका है। इसलिए उक्त डीजल पर यदि राज्य सरकार की कोई वैट राशि बनती हो तो, वह अप्रार्थी आत्माराम से वसूल की जानी उचित होगी।

मैनें दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थी आत्माराम पुत्र श्री … वाहन संख्या नं. आरजे 07 जीसी 6210 में 2420 लीटर … क्षमता से अधिक भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सेक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LIC & CONTROL), ORDER 1990

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:32:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

के क्लॉज 15 की अवहेलना के कारण उक्त पिकअप वाहन संख्या नं. आरजे 07 /जीसी 6210 में 2420 लीटर डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2019 के साथ अपर सैशन न्यायाधीश संख्या—1, श्रीगंगानगर के द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 85/2019 अनवानी आत्माराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.11.2018 के आधार पर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक आरोप से दोषमुक्ति होने के कारण उक्त जब्तशुदा डीजल मय वाहन वापिस प्राप्त कर चुका है।.

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6क 3(क) व (ग) का अवलोकन किया, जिसमें निम्न प्रावधान है :

> **6क(3)(क) जहां अधिहरण का कोई आदेश कलेक्टर द्वारा अंतिम रूप से पारित नहीं किया जाता है,**
> **6क(3)(ग) — जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अभिहरण का आदेश किया गया है, संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है, संदत किए जाएगें।**

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस हस्तगत प्रकरण में 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ साथ धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक एफ.आई.आर. संख्या 116/2018 पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई थी जिसके आधार पर अपर सैशन न्यायाधीश संख्या—1, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दर्ज फौजदारी प्रकरण संख्या 85/2018 अनवानी आत्माराम बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.11.2018 के आधार पर धारा 3/7

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:32:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक आरोप से दोषमुक्ति होने के कारण उक्त अप्रार्थी जब्तशुदा डीजल मय वाहन प्राप्त कर चुका है। चूंकि अप्रार्थी धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के उक्त आरोप से अपर सेशन न्यायाधीश संख्या—1, श्रीगंगानगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2018 से दोषमुक्त हो चुके है और **इस दोषमुक्ति आदेश के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा कोई अपील/रिट आदि पेश नहीं की गई** है इसप्रकार उक्त आदेश अन्तिम हो जाता है। इसलिए दोषमुक्ति के परिणास्वरूप अप्रार्थीगण उक्त जब्तशुदा डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उक्त्त प्रावधानों के तहत वापिस प्राप्त करने के हकदार है, जिसे वह पूर्व में ही प्राप्त कर चुका है।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग—अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है। इसलिए इस प्रकरण में यदि कोई वैट सम्बन्धी कार्रवाई शेष हो तो वह पूर्ण की जावे और इस प्रकरण में उक्त वैट सम्बन्धी कार्रवाई, को इस प्रकरण से अलग किया जाकर, जारी रखी जावे तथा की गई कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षर को भी अवगत करवाया जावे।

अतः उक्तानुसार हस्तगत प्रकरण धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का निस्तारित किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, थानाधिकारी, पुलिस थाना, राजियासर एवं अ[illegible]क्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:32:21 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर